संख्या-36/2019-1663/58-2019-202/2018

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 16 अगस्त, 2019**

विषय :- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की कार्ययोजना पर अनुमोदन दिये जाने एवं चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-रा0औ0मि0 2029/बु0वि0क्षेत्रऔ0वि0यो0/2019-20, दिनांक 12.07.2019 एवं पत्र संख्या-रा0औ0मि0 3221/बु0वि0क्षेत्रऔ0वि0यो0/2019-20, दिनांक 05.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना अवधि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की कुल धनराशि रू0-1890.00 लाख की कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-22/2015-2457/58-2015-271/2015, दिनांक 02.11.2015 उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

2- उक्त के अतिरिक्त लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष 08 माह के लिए रू0-240.00 लाख (रूपये-दो करोड़ चालीस लाख) मात्र को निम्नलिखिति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं शासनादेश सं0-22/2015-2457/58-2015-271/2015, दिनांक 02.11.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त् धनराशि का व्यय बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास के लिए स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(8) उक्त् प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त

http://shasanadesh.up.nic.in

नियंत्रक, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(9) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाये।

(11) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शा0सं0 ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी0सी0-**II**, दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(12) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष् 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-36/2019-1663(1)/58-2019, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित जिलाधिकारी।
(5) संबंधित कोषाधिकारी।
(6) संबंधित उप निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in